मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में त्वरित सिंचाई परियोजनाओं के लिये निधियों का आवंटन

268. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में त्वरित सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए स्वीकृत की जाने वाली सिंचाई परियोजनाओं की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विश्व बैंक से कितनी धनराशि मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) माननीय संसद सदस्य संभवतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) वर्ष दर वर्ष आधार पर दी जाती है और प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल सहायता राशि का पता सामान्यतः आम बजट प्रस्तुत करने के बाद चलता है।

(ख) राज्य सरकारों ने अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता का लाभ उठाने के लिए अपने प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS SET FOR THE 27TH MAY, 1998

जैन आयोग

*1. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी हत्या के षड्यंत्र की जांच करने के लिये गठित जैन आयोग को समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या आयोग ने षड्यन्त्रकारियों का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने में आयोग को कितना समय लगा और उस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) या इस आयोग में सबसे अधिक समय और धन की खपत हुई; और

(ङ) हत्या के मामलों की जांच के लिये अब तक गठित ऐसे जांच आयोगों के कार्यकाल तथा उन पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जाएगी तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, यह रिपोर्ट, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 23.8.1991 से 7.3.1998 तक का समय लगा। जैन जांच आयोग पर कुल 2,81,48,428/- रुपए खर्च किए गए। हाल में, श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या काण्ड की जांच के लिए ठक्कर जांच आयोग तथा श्री राजीव गांधी हत्या काण्ड की जांच के लिए वर्मा जांच आयोग का गठन किया गया। ठक्कर जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 20.11.1984 से 27.2.1986 तक का समय लगा तथा वर्मा जांच आयोग को अपनी जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 27.5.1991 से

The sitting of the Rajya Sabha on Wednesday, the 27th May, 1998 was adjourned as a mark of respect to the memory of Shri Gyan Ranjan. Answers to Starred Questions put down in the lists for that day were laid on the Table of the House on Thursday, the 28th May, 1998.

15.6.1992 तक का समय लगा था। ठक्कर जांच आयोग पर 21,91,774/- रुपए खर्च आया। वर्मा जांच आयोग पर 29,06,638/- रुपए खर्च हुए।

राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां

*2. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य-वार कितनी हत्यायें हुई; और

(ख) क्या सरकार देश को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिये राष्ट्रीय सर्वसम्मति तैयार करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई हत्याओं की राज्य-वार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)।**

(ख) आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:—

1. सूचना का विनियम, आसूचना का आदान-प्रदान करने, रणनीति तैयार करने तथा समन्वित कार्रवाई करने से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों/आसूचना एजेन्सियों/केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।
2. निम्नलिखित के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की संरक्षा:—
   (क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ तथा फ्लड लाईट लगाकर।
   (ख) नाईट विजन डिवाईसिज, हैण्ड-हैल्ड सेंट्स, दूरबीनें, ड्रैगन लाईट्स, इत्यादि उपलब्ध करवा कर सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाना ताकि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।
   (ग) अतिरिक्त बी०ओ०पी० (सीमा चौकियां) का निर्माण करना ताकि उनके बीच का अन्तर कम किया जा सके।
3. प्रभावित क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो, अर्ध-सैनिकों बलों की तैनाती करना।
4. वहां आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना जहां इस प्रकार की गतिविधियां एक राज्य से अधिक में फैली हों।
5. विशेष परिस्थितियों में हथियारों की आपूर्ति और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावित राज्य सरकारों को चालू आबंटन के अलावा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में भारत को आतंकवाद और दंगों से मुक्त रखने के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है।

विवरण

1995, 1996 और 1997 के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण मारे गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	1995	1996	1997
1.	पंजाब	—	—	56
2.	उत्तर प्रदेश	—	6	—
3.	हरियाणा	—	11	—
4.	जम्मू और कश्मीर	1265	1521	1124
5.	असम	240	389	370
6.	त्रिपुरा	67	99	211
7.	मेघालय	6	7	2